सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 578/सो.आ.नि.–318(1)/2016

दिनाँक: 15 नवम्बर, 2016

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः वर्ष 2017–18 के लिए सोशल आडिट टीमों का गठन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में आपके संज्ञान में लाना है कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा तथा इन्दिरा आवास योजनाओं के अन्तर्गत कराए गए कार्यों के सोशल आडिट हेतु गठित वर्तमान सोशल आडिट टीमो का कार्यकाल दिनांक 31.03.2017 को समाप्त हो जाएगा। अतः वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टीमों के गठन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जानी अपेक्षित है। अतः वर्ष 2017–18 के लिए सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु निम्नवत दिशा–निर्देश निर्गत किए जाते हैं:–

1– **सोशल आडिट टीमों के गठन की प्रक्रिया** निम्नवत होगी:–

(क) निदेशक, सोशल आडिट द्वारा शीघ्र ही समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। तद्नुसार जिला विकास अधिकारी कार्यालय में सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।

(ख) प्रत्येक पाँच सदस्यीय टीम में (i) सामान्य वर्ग, (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग, (iii) अनुसूचित जाति/जनजाति, (iv) महिला एवं (v) जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसके पात्र पुत्र/पुत्री –प्रत्येक श्रेणी से एक–एक सदस्य होंगे।

(ग) **शैक्षिक अर्हताः–** हाईस्कूल उत्तीर्ण/हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर चयन समिति द्वारा शैक्षिक अर्हता शिथिलनीय।

(घ) **निवासः–** सोशल आडिट टीम का सदस्य नामित होने हेतु उसी विकास खण्ड का निवासी होना अनिवार्य है।

(ड.) **आयुः–** 01 अप्रैल, 2016 को 18 से 62 वर्ष के मध्य।

Anu-2016

2– टीम के सदस्य हेतु आवेदन पत्र निम्नांकित प्रारूप पर दिया जाएगा।

"सोशल आडिट टीम का सदस्य" हेतु आवेदन पत्र

1– जनपद :.. 2– विकास खण्ड का नाम :.........................
3– अभ्यर्थी का नाम :.. 4– पिता/पति का नाम :...............................
5– जन्मतिथि :.. 6– शैक्षिक अर्हता :...
7– सोशल आडिट में प्रशिक्षण प्राप्त करने अथवा सोशल आडिट करने का अनुभवः..................
8– श्रेणी (सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसका पुत्र/पुत्री):..
9– निवास का पता :...
10– मोबाइल नं0:...

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर...................................
दिनांक..

जिला विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र पहुँचने की **अंतिम तिथि : 09 जनवरी, 2017** को कार्यालय समय तक निर्धारित की गई है।

3– आवेदन पत्र के उपर्युक्त प्रारूप के अनुसार पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र स्थानीय स्तर पर जिला विकास अधिकारी द्वारा कन्टीजेन्सी/स्टेशनरी व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से छपवा लिया जाना चाहिए तथा इसका वितरण खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से प्रार्थना पत्र देने के इच्छुक व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी यदि चाहें, निदेशालय की वेबसाइट से उक्त प्रार्थनापत्र का प्रारूप डाउनलोड भी कर सकते हैं।

4– प्रत्येक विकास खण्ड में 10 ग्राम पंचायतों पर एक **"5 सदस्यीय सोशल आडिट टीम'** का गठन किया जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी विकास खण्ड में 61–70 के बीच ग्राम पंचायतें हों तो उस विकास खण्ड में 7 टीमों का गठन किया जाना अपेक्षित होगा, किन्तु यदि ग्राम पंचायतों की संख्या 59 हो तो 6 टीमों का ही गठन किया जाएगा।

उक्तवत 10 ग्राम पंचायतों पर 1 टीम के गठन के अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, जाबकार्डधारक श्रमिक अथवा उसका पुत्र/पुत्री– सभी वर्गों से 2–2 व्यक्तियों को रिजर्व सूची में रखा जाएगा ताकि गठित टीमों में से यदि किसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थी सोशल आडिट हेतु उपस्थिति नहीं होता है तो उसके स्थान की पूर्ति इस रिजर्व सूची से की जा सके। सोशल आडिट टीम के सदस्यों के रूप में चयन हेतु न्यूनतम अर्हता हाईस्कूल उत्तीर्ण है, किन्तु यदि किसी वर्ग के हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो विशेष परिस्थितियों में चयन समिति शैक्षिक अर्हता को शिथिल कर सकती है।

5– **टीम के गठन हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करनाः–**

टीमों के गठन के संबंध में ग्राम पंचायतों में व्यापक जन सम्पर्क के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाएगा ताकि सामान्य जन में सोशल आडिट के प्रति जागरूकता बढ़े और अधिक से अधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों से सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में चयन हेतु आवेदन प्राप्त हो सकें। ग्राम पंचायतों में स्वैच्छिक रूप से सामाजिक कार्यों में सक्रिय व्यक्तियों, भारत निर्माण वालंटियर्स (B.N.V.) में प्रशिक्षण प्राप्त स्वयं सेवकों तथा जाबकार्डधारक श्रमिक के पुत्र/पुत्री, जो कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण हों, को टीम के सदस्य के रूप में चयन हेतु आवेदन पत्र प्रेषित करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त हों, इस हेतु खण्ड विकास अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।

6– **चयन समितिः**

टीम के सदस्यों के चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत होगाः–

(क)	जिला विकास अधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी कालेज/ प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था का प्रतिनिधि	सदस्य
(ग)	जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर अथवा उसकी अनुपस्थिति में जिला विकास अधिकारी द्वारा नामित अन्य पदधारक	सदस्य सचिव

7– **चयन प्रक्रियाः–**

वर्ष 2017–18 के लिए टीमों के गठन हेतु दिनांक 09–01–2017 तक प्राप्त आवेदन पत्रों को जिला विकास अधिकारी के कार्यालय में विकास खण्डवार रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा और उनका परीक्षण कर पात्र आवेदकों को चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। चयन की प्रक्रिया 07–02–2017 तक पूर्ण कर ली जानी है ताकि अप्रैल, 2017 में टीमों के सदस्यों को समुचित प्रशिक्षण दिया जा सके और सोशल आडिट प्रारम्भ हो सके।

8– **टीम के सदस्यों की कार्यावधिः–**

टीम के सदस्यों को वर्ष 2017–18 के लिए चयनित किया जाएगा और उनकी कार्यावधि 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक के लिए है। 31 मार्च, 2018 को इनकी कार्यावधि स्वतः समाप्त हो जाएगी।

9– **फीसः–**

प्रत्येक ग्राम पंचायत के सोशल आडिट के सम्यक् रूप से सम्पन्न होने पर टीम के प्रत्येक सदस्य को निर्धारित दरों पर फीस का भुगतान अनुमन्य होगा। वर्तमान में यह दर रू0 500/– प्रति सोशल आडिट प्रति सदस्य है।

10– **कर्तव्य एवं दायित्व :–**

निर्दिष्ट ग्राम पंचायत में योजनाओं के अर्न्तगत कराए गए कार्यों का सोशल आडिट सम्पादित करना, जिसमें निम्नांकित सत्यापन किया जाना सम्मिलित है :–

(1) मस्टर रोल की प्रविष्टियों के अनुसार किए गए भुगतान का मजदूरी प्राप्त करने वाले समस्त व्यक्तियों से सम्पर्क करके सत्यापन कराना।

(2) योजना के अर्न्तगत कराए गए समस्त कार्यों का स्थल पर सत्यापन करते हुए अभिलेखों के आधार पर मात्रा एवं कराए गए कार्यों की गुणवत्ता पर टिप्पणी करना।

(3) रोकड़ बही, बैंक विवरण, बिलों, बाउचरों एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण कर वित्तीय सूचना प्रेषण की शुद्धता का सत्यापन करना।

(4) सामग्री क्रय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होने की पुष्टि हेतु सभी इनवॉयस, बिल बाउचर्स या अन्य सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन करना।

(5) कार्यक्रम के लिए प्राप्त निधियों में से कार्यकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अन्य भुगतानों का सत्यापन करना।

(6) परिसम्पत्तियों (व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर किए गए कार्यों सहित) की भौतिक स्थिति, गुणवत्ता एवं परिसम्पत्तियों की उपयोगिता के बारे में लाभार्थियों की संतुष्टि का आंकलन करना।

(7) निर्धारित प्रारूप पर सभी जॉबकार्ड धारकों को दी गई धनराशि के ब्यौरे वाल पेंटिंग में दर्शाए जाने की स्थिति एवं उसमें दिए गए विवरणों का अभिलेखों से मिलान कर टिप्पणी करना।

(8) सोशल आडिट में पाई गई कमियों का उल्लेख करते हुए तथा सोशल आडिट ड्राफ्ट प्रतिवेदन तैयार करना।

(9) यदि ग्राम पंचायत में इन्दिरा आवास का निर्माण हुआ है तो उसका भी शत–प्रतिशत सत्यापन करना।

(10) निदेशक सोशल आडिट, उ0प्र0 द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।

11— उपरोक्तानुसार टीमों के गठन हेतु इस निदेशालय द्वारा केन्द्रीयित रूप से प्रदेश के विभिन्न समाचार—पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराए जा रहे हैं ताकि टीम के सदस्यों के चयन हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त हो सकें।

12— टीम के सदस्यों के चयन हेतु अभ्यर्थियों से आमंत्रित किए जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप तथा विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया आवेदन पत्र का प्रारूप जिला तथा ब्लाक स्तर पर नोटिस बोर्डों पर चस्पा कराने तथा उनकी फोटोकापी वांछित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

आपसे अनुरोध है कि कृपया टीमों के गठन हेतु यथोचित व्यवस्था करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि वर्ष 2017—18 में सोशल आडिट के लिए टीमों का गठन समय से 07 फरवरी, 2017 तक पूर्ण हो सके।

भवदीय,

O/c

(राजवर्धन)
निदेशक।

प्रतिलिपि :—
निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, अनुभाग—7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(राजवर्धन)
निदेशक।

O/c

Arun-2016